डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 जुलाई 2003—आषाढ़ 11, शक 1925

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2003

क्र. एफ.-1-42-2001-सैंतालीस.—यतः, राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि :—

(एक) पदों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्त स्थान अल्प समय में भरे जाएं, और

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए और अतएव, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विनिर्दिष्ट स्थानों पर संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन संविदा आधार पर, सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों पर भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम, एतद्द्वारा, बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2003" है.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये जाएं.

(3) ये **"मध्यप्रदेश राजपत्र"** में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"उपाबन्ध"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध.

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी.

(ग) **"संविदा कर्मचारी"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी

(घ) **"संविदा सेवा"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा उपबंधित संविदा सेवा

(ङ) **"संविदा नियुक्ति"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति.

(च) **"जिला"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व जिला.

(छ) **"शासन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन.

(ज) **"विभागाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(झ) **"पद"** से अभिप्रेत है, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित पद.

(ञ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

(ट) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट समिति.

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—इन नियमों का विस्तार संपूर्ण राज्य पर होगा और ये भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये संविदा कर्मचारियों को लागू होंगे.

4. **संविदा राशि.**—(1) संविदा कर्मचारी की मासिक संविदा राशि, अनुसूची के कॉलम (3) में यथा-उल्लिखित के अनुसार होगी. यह राशि शासन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी. संविदा कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता के लिए हकदार होगा. किन्तु वह किन्हीं अन्य प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा.

(2) किसी संविदा कर्मचारी को, संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिये नहीं किया जाएगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है.

5. **चयन तथा नियुक्ति की पद्धति.**—(1) **पद.**—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन विभिन्न इकाइयों में रिक्त पदों की संख्या, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी.

(2) **चयन एवं नियुक्ति.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी :

परन्तु चयन समिति के गठन के लिये, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्ध लागू होंगे.

(3) **आयु.**—संविदात्मक नियुक्ति के लिये, उस वर्ष की जनवरी के प्रथम, दिन को, जिसमें नियुक्ति की जानी है, न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी.

(4) **सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति.**—सेवा निवृत्त शासकीय सेवक भी संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए हकदार होंगे.

(5) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ऐसी होगी, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

(6) **निरर्हता.**—कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ था.

(7) **आरक्षण.**—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित किए जाएंगे.

(8) **विज्ञापन.**—नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों में पद विज्ञापित करेगा. विज्ञापन की एक प्रति नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना फलक पर भी प्रदर्शित की जायेगी.

(9) **चयन समिति की सिफारिश.**—चयन समिति, अनुसूची के कॉलम (5) के अनुसार अभ्यर्थी को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिश करेगी.

6. **संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना.**—संविदा कर्मचारी की संविदा की कालावधि अधिकतम दो वर्ष होगी.

7. **संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन एवं नियंत्रण.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(2) प्रत्येक संविदा कर्मचारी शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा. यदि कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है तो यह कदाचार माना जाएगा.

8. **कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्यवाई.**—नियम 7 के अधीन किसी कदाचार पर या इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.

9. **नियंत्रणकर्ता अधिकारी.**—संविदा कर्मचारी, संबंधित इकाई के प्रमुख के माध्यम से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा.

10. **अन्य शर्तें.**—(1) चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा. करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे. चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जायेगा.

(2) संविदा कर्मचारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे. उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में, संविदा नियुक्ति, स्वतः रद्द हो जायेगी. किसी संविदा कर्मचारी द्वारा उसके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना, संबंधित इकाई प्रमुख के माध्यम से, संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को भेजी जाएगी.

(3) संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा. चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तुरन्त रद्द कर दी जाएगी.

(4) प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने से पूर्व, संविदा कर्मचारी स्वयं अपने खर्च पर, जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा. इस चिकित्सीय परीक्षण में, उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भी, यदि वे संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण कराना आवश्यक होगा.

(5) संविदा कर्मचारी के लिए, अपनी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से एक मास के भीतर, संबंधित इकाई में 7 दिन का प्रशिक्षण लेना आपेक्षित होगा. ऐसा प्रशिक्षण, संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा आयोजित किया जाएगा. संविदा कर्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण पर भेजने के लिये संबंधित इकाई प्रमुख उत्तरदायी होगा. संविदा कर्मचारी इस प्रयोजन के लिये नियमानुसार यात्रा भत्ते के लिये हकदार होगा. तथापि सेवानिवृत्त संविदा शासकीय सेवक के लिये ऐसा प्रशिक्षण अपेक्षित नहीं होगा.

(6) संविदा कर्मचारी की नियुक्ति केवल किसी विशिष्ट इकाई के लिये होगी. किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.

(7) संविदा कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा. वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी. महिला संविदा कर्मचारी, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों, अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होंगी.

(8) यदि संविदा कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी.

(9) संविदा कर्मचारी, उसकी संविदात्मक कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा. उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा.

(10) संविदा कर्मचारी, शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा.

(11) संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है.

(12) अन्य सेवा संबंधी शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं.

11. **निर्वचन.**—इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उन्हें न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु किसी मामले में ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो इन नियमों में उपबंधित रीति से उसके लिए कम अनुकूल हो.

उपाबन्ध
[नियम 10(1)]
करार का प्रारूप

यह करार एक पक्ष के रूप में डॉ./श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... आयु .... निवासी .... (जो इसके पश्चात् कर्मचारी के रूप में निर्दिष्ट है) और द्वितीय पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जो नियुक्ति प्राधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् नियोजक के रूप में निर्दिष्ट हैं) की मार्फत कार्य कर रहे हैं के मध्य तारीख .... को किया गया है.

यतः, नियोजक ने मध्यप्रदेश भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2003 के अधीन आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा .... (इकाई का नाम) के लिए संविदा .... (पद का नाम) के रूप में कर्मचारी को नियुक्त किया है और कर्मचारी उक्त पद पर संविदा नियुक्ति के लिए सहमत है.

अत्र पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति है :—

(एक) दोनों पक्ष उक्त नियमों से आबद्ध होंगे और कर्मचारी द्वारा उक्त नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन कदाचार माना जाएगा.

(दो) कर्मचारी को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा और मासिक संविदा राशि का भुगतान उस तारीख से किया जाएगा.

(तीन) इस संविदा के संबंध में किसी विवाद की दशा में, केवल भोपाल स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी.

(चार) संविदा कर्मचारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह शासन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले.

(पांच) किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा कर्मचारी की संविदा सेवा समाप्त कर दे.

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षों ने इस करार पर उनके हस्ताक्षर के सामने क्रमशः उल्लिखित तारीख तथा वर्ष में हस्ताक्षर किए.

साक्षी :		पक्ष :	
(एक)	हस्ताक्षर	(एक)	हस्ताक्षर ....
	नाम		नाम ....
	पता		पता ....
(दो)	हस्ताक्षर	(दो)	हस्ताक्षर ....
	नाम		नाम ....
	पता		पता ....

अनुसूची

नियम-5

अनुक्रमांक (1)	संविदा सेवा में सम्मिलित पद (2)	मासिक संविदा राशि (रुपये) (3)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव (4)	अंकों का विभाजन (100 अंकों में से) (5)	चयन समिति (6)	नियुक्ति प्राधिकारी (7)
	वर्ग—एक					
1	वरिष्ठ परामर्शी* (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	26,000/-	**अर्हता :** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता [अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करनी होंगी]. संबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता. **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. एवं मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु डी.एम. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता.	(1) एम.बी.बी.एस. के लिये. 20 अंक (2) स्नातकोत्तर के लिये 10 अंक (एक) स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर. (प्रत्येक प्रयत्न के लिये ऋणात्मक 2 अंक) (दो) सुपर स्पेशलिटी में पोस्ट पी.जी. (प्रत्येक प्रयत्न के लिये ऋणात्मक 2 अंक) 10 अंक (3) प्रकाशन हेतु— मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों द्वारा अपेक्षित प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकाशन के लिये 2 अंक/प्रकाशन आई. एन. डी. ई. एक्स., 15 अंक	1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग. **अध्यक्ष** 2. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास. **सदस्य सचिव.** 3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा **सदस्य** 4. दो विशेषज्ञ **सदस्य** (संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ होंगे, जिनमें से एक राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से तथा एक राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालय से होगा.दी गई स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी में, राज्य के भीतर विशेषज्ञ की अप्राप्यता की दशा में, दोनों विशेषज्ञ राज्य के बाहर के होंगे. विशेषज्ञों की पेनल, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें से अध्यक्ष, सदस्यों का चयन करेगा.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वर्ग-एक 1.	वरिष्ठ परामर्शी * (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	26,000/-	**अनुभव :** एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपरस्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में, 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 14 वर्षों का अनुभव. **और/या** एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 12 वर्षों का कार्यानुभव.	एम.ई.डी.सी.यू.एस./ नेशनल जर्नल में अनुक्रमणित होना चाहिये. (4) अनुभव हेतु 15 अंक (उक्त पद के लिये विहित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक). (5) साक्षात्कार हेतु 30 अंक	5. आरक्षित प्रवर्ग का एक प्रतिनिधि (प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग में से होगा, जो चिकित्सा व्यवसाय/प्रशासन का हो, जो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट होगा. — **सदस्य**	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
2	परामर्शी * (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	22,000/-	**अर्हता :** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता [अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करनी होंगी]. संबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात्	(1) एम.बी.बी.एस. के लिये. 20 अंक (2) स्नातकोत्तर के लिये 10 अंक (एक) स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर (प्रत्येक प्रयत्न के लिये ऋणात्मक 2 अंक) (दो) सुपर स्पेशलिटी में पोस्ट पी.जी. 10 अंक (प्रत्येक प्रयत्न के लिये	1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग. — **अध्यक्ष** 2. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास. — **सदस्य सचिव.** 3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा — **सदस्य** 4. दो विशेषज्ञ — **सदस्य** (संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ होंगे, जिनमें से एक राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से तथा एक राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालय	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	परामर्शी* (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	22,000/-	एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता. **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. एवं मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु डी.एम. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता. **अनुभव :** एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपरस्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में, 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषयों में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव. **और/या** एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 06 वर्षों का अनुभव.	ऋणात्मक 2 अंक). (3) प्रकाशन हेतु— मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों द्वारा अपेक्षित प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकाशन के लिये 2 अंक/प्रकाशन आई. एन.डी.ई.एक्स., एम.ई.डी.सी.यू.एस./ नेशनल जर्नल में अनुक्रमणित होना चाहिये. — 15 अंक (4) अनुभव हेतु— (उक्त पद के लिये विहित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक). — 15 अंक (5) साक्षात्कार हेतु— — 30 अंक	से होगा.दी गई स्पेशलिटी/ सुपर स्पेशलिटी में, राज्य के भीतर विशेषज्ञ की अप्राप्यता की दशा में, दोनों विशेषज्ञ राज्य के बाहर के होंगे. विशेषज्ञों की पेनल, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें से अध्यक्ष, सदस्यों का चयन करेगा. 5. आरक्षित प्रवर्ग का एक प्रतिनिधि (प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग में से होगा, जो चिकित्सा व्यवसाय/प्रशासन का हो, जो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट होगा). — सदस्य	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
3	कनिष्ठ परामर्शी* (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	18,000/-	**अर्हता :** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में	(1) एम.बी.बी.एस. के लिये— — 20 अंक	1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग. — अध्यक्ष	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कनिष्ठ परामर्शी* (किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय के असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद के समकक्ष).	18,000/-	सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता [अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम, की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करनी होंगी]. संबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता. **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. एवं मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु डी.एम. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता. **अनुभव :** एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपरस्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में, 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का कार्यानुभव.	(2) स्नातकोत्तर के लिये 10 अंक (एक) स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर (प्रत्येक प्रयत्न के लिये ऋणात्मक 2 अंक) (दो) सुपर स्पेशलिटी में पोस्ट पी.जी. (प्रत्येक प्रयत्न के लिये ऋणात्मक 2 अंक) 10 अंक (3) प्रकाशन हेतु— 15 अंक मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों द्वारा अपेक्षित प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकाशन के लिये 2 अंक/प्रकाशन आई. एन. डी. ई. एक्स., एम.ई.डी.सी.यू.एस./नेशनल जर्नल में अनुक्रमणित होना चाहिये. (4) अनुभव हेतु— 15 अंक (उक्त पद के लिये विहित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक). (5) साक्षात्कार हेतु— 30 अंक	2. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास. — सदस्य सचिव. 3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा — सदस्य 4. दो विशेषज्ञ — सदस्य (संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ होंगे, जिनमें से एक राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से तथा एक राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालय से होगा. दी गई स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी में, राज्य के भीतर विशेषज्ञ की अप्राप्यता की दशा में, दोनों विशेषज्ञ राज्य के बाहर के होंगे. विशेषज्ञों की पेनल, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बनाई जाएगी, जिनमें से अध्यक्ष, सदस्यों का चयन करेगा. 5. आरक्षित प्रवर्ग का एक प्रतिनिधि (प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में से होगा, जो चिकित्सा व्यवसाय/प्रशासन का हो, जो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट होगा). — सदस्य	मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
	वर्ग—दो							
4	चिकित्सा अधिकारी	15,000/-	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीयन.	क. स्नातक उपाधि (प्राप्त अंकों के अनुपात में).	65 अंक	1. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास.	अध्यक्ष	संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल.
				ख. स्नातकोत्तर (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक).	10 अंक	2. संचालक/उनका नाम-निर्देशिती, जो संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, लोक स्वास्थ्य विभाग की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.	सदस्य	
				ग. एन. सी. सी. का "सी" प्रमाण-पत्र अथवा एन.एस.एस. का प्रमाण-पत्र.	05 अंक	3. राज्य से विषय विशेषज्ञ, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.	सदस्य	
				घ. पुरूष खिलाड़ी/ महिला खिलाड़ी जिसनें विश्वविद्यालय या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो.	05 अंक	4. आरक्षित वर्गों से एक सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.	सदस्य	
				ङ किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव (अधिकतम पांच अंकों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिये एक अंक).	05 अंक	5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत.	सदस्य सचिव.	
				च. साक्षात्कार	10 अंक			
	वर्ग—तीन							
5	मैट्रन*	7,000/-	नर्सिंग सिस्टर के रूप में केन्द्र/राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में पांच वर्ष का कार्यानुभव.	क. आवश्यक अर्हता (प्राप्त अंकों के अनुपात में).	65 अंक	1. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास.	अध्यक्ष	संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल.
				ख. पद से संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त अर्हता.	10 अंक	2. संचालक अथवा उनका नाम-निर्देशिती, जो कि संयुक्त संचालक, चिकित्सा सेवा की पदश्रेणी से नीचे का न हो.	सदस्य	
6	सहायक मैट्रन*	7,000/-	नर्सिंग सिस्टर के रूप में केन्द्र/राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में पांच वर्ष का कार्यानुभव.	ग. एन. सी. सी. का "सी" प्रमाण-पत्र अथवा एन.एस.एस. का प्रमाण-पत्र.	05 अंक			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
7	नर्सिंग सिस्टर	6,300/-	स्टॉफ नर्स के बतौर किसी केन्द्र/ राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में पांच वर्ष का कार्यानुभव.	घ. विश्वविद्यालय अथवा राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला पुरुष खिलाड़ी/ महिला खिलाड़ी.	05 अंक	3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत.	सदस्य सचिव.	संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल.
8	स्टॉफ नर्स	5,600/-	बी. एस.सी., नर्सिंग या जनरल नर्सिंग और नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन.			4. आरक्षित वर्गों से एक सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.	सदस्य	
9	बॉयोकेमिस्ट	6,300/-	एम.एस.सी., (बॉयोकेमिस्ट्री या मेडिकल (बॉयोकेमिस्ट्री) या मान्यता प्राप्त संस्था से डी.एम.एल.टी. सहित केमिस्ट्री में उपाधि.	ङ. उस पद का अनुभव जिसके लिये आवेदक पर विचार किया जाना है, (अधिकतम पांच अंकों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष के लिये एक अंक).	05 अंक	5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा/ उनका नाम-निर्देशिती, जो कि संयुक्त संचालक, चिकित्सा सेवा की पदश्रेणी से नीचे का न हो.	सदस्य	
10	लेब टेक्नीशियन	5,600/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से डी.एम.एल.टी.	च. साक्षात्कार	10 अंक			
11	लेबोरेटरी सहायक	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण.					
12	फार्मासिस्ट ग्रेड-II	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं फार्मेसी में डिप्लोमा एवं फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन.					
13	ड्रेसर ग्रेड-II	3,850/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 3 माह का ड्रेसिंग का प्रशिक्षण.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	वरिष्ठ रेडियोग्राफर*	5,600/-	रेडियोग्राफर के बतौर किसी केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में पांच वर्ष का कार्यानुभव.			
15	रेडियोग्राफर	4,900/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 6 माह का रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.			
16	डार्करूम सहायक	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण.			
17	मेडिकल सोशल वर्कर	6,300/-	न्यूनतम द्वितीय श्रेणी सहित समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि.			
18	पल्मोनरी फीजियोथेरेपिस्ट*	7,700/-	पल्मोनरी फीजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन के बतौर किसी केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में पांच वर्ष का कार्यानुभव.			
19	ऑप्टोमेट्रिस्ट	5,600/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित बी. एस.सी., प्रथम वर्ष उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमीटरी एवं रिफ्रेक्शन में डिप्लोमा.			
20	ऑपथल्मिक असिस्टेन्ट	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित बी. एस.सी., प्रथम वर्ष उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमीटरी एवं रिफ्रेक्शन में 2 वर्ष का प्रशिक्षण.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	ओ.टी. टेक्नीशियन	5,600/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से डी. एम.एल.टी. एवं एक वर्ष का किसी केन्द्र/राज्य के मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओ.टी. में कार्यानुभव.			
22	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	4,900/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का किसी केन्द्र/राज्य के मान्यता-प्राप्त चिकित्सालय में ई.सी.जी. टेक्नीशियन का कार्यानुभव.			
23	तकनीकी सहायक	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में इमेजिंग/आंई.सी.यू./न्यूरोलॉजी/सायकट्री/नेफ्रोलॉजी/गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी (सर्जिकल)/गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी (मेडिकल)/विभागों में/सी.एस.एस.डी. में सुपर स्पेशलिटी उपकरणों को चलाने का एक वर्ष का अनुभव.			
24	ओ.टी. सहायक	4,300/-	फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलॉजी सहित 12वीं उत्तीर्ण एवं केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओ.टी. में एक वर्ष का कार्यानुभव.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समीर कुमार खरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2003

क्र. एफ-1-42-2001-सैंतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 जून 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समीर कुमार खरे, उपसचिव.

Bhopal, the 25th June 2003

No. F. 1-42-2001-XLVII.—WHEREAS, in the opinion of the State Government, it has become necessary that :—

(i) certain vacancies in cetain categories of posts to filled up within a short time; and

(ii) the tendency of avoiding posting at certain places be curbed and, therefore, employees be appointed on contract basis at specified places for a specifed period;

Now, THEREFORE, in exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, relating to recruitment to certain categories of services on contract basis under Department of Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation, Madhya Pradesh, namely :—

RULES

1. **Short title, Application and commencement.**—(1) These rules may be called "The Madhya Pradesh Bhopal, Gas Tragedy, Relief & Rehabilitation Department Contract Service (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003".

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for time being in force, these rules shall apply to such categories of contract employees appointed on contract basis, as may be specified in the Schedule, from time to time, by the state Government.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Annexure"** means Annexure appended to these rules.

(b) **"Appointing Authority"** means the authority specified in the Schedule for the concerned category.

(c) **"Contract Employee"** means the Employee appointed on contract basis under these rules.

(d) **"Contract Service"** means contract service provided under these rules.

(e) **"Contract Appointment"** means the person appointed on contract basis under these rules.

(f) **"District"** means revenue district of Madhya Pradesh.

(g) **"Government"** means Government of Madhya Pradesh.

(h) **"Head of the Department"** means Director, Gas Relief & Rehabilitation, Madhya Pradesh, Bhopal.

(i) **"Post"** means post mentioned in the column (2) of the Schedule.

(j) **"Schedule"** means Schedule appended to these rules.

(k) **"Selection Committee"** means Committee specified in the Schedule for the concerned category.

(l) **"State"** means State of Madhya Pradesh.

3. **Extent & Application.**—These rules shall extend to the whole of the State and shall apply to the Contract employees appointed by the Appointing Authority for specific units under the Department of Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation.

4. **Contract Amount.**—(1) The monthly contract amount for a Contract employee shall be as mentioned in column (3) of the Schedule. This amount may be revised by the Government from time to time. Contract employee shall be

entitled for Travelling Allowance as per rules applicable to the employees of the State Government, but he shall not be entitled for any other type of allowances.

(2) The contract amount to a Contract employee shall not be paid for the days in which he is absent from duty.

5. **Selection and Method of appointment.**—(1) **Post.**—Number of vacant posts in various units under the Department of Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation will be decided by Appointing Authority.

(2) **Selection and Appointment.**—All appointments to the posts specified in the schedule shall be made by the appointing authority on the basis of the recommendations by a selection committee, specified in the schedule:

Provided that for the constitution of selection committee provisions of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21, year 1994) shall apply.

(3) **Age.**—The Minimum and Maximum age limit for contractual appointment shall be 21 years and 65 years respectively on the first day of January of that year in which the appointment is to be made.

(4) **Appointment of Retired Government Servant.**—Retired Government Servants may also be entitled for appointment as Contract employee.

(5) **Minimum Educational Qualification.**—Minimum Educationl Qualification for the appointment of candidate shall be such as specified in the Schedule.

(6) **Disqualification.**—A candidate shall not be eligible for contractual appointment if he/she has more than two children, one of whom was born on or after 26th January 2001.

(7) **Reservation.**—The posts shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21, year 1994), the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules 1997 and the instructions issued by the State Government from time to time.

(8) **Advertisement.**—The Appointing Authority shall advertise the post in at least two State level news papers. A copy of the advertisement shall also be exhibited on the Notice Board of the Office of Appointing Authority.

(9) **Recommendation of Selection Committee.**—The selection committee shall make its recommendation after making is assessment of the candidates on the basis of marks awarded to the candidate in accordance to the column (5) of the Schedule.

6. **Period of Contract Appointment and posting.**—The maximum period of contract of contract employee shall be 2 years.

7. **Discipline and Control during Contract Period.**—(1) Any person appointed under these rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(2) Every Contract employee shall actively participate in all National Programmes of the Government. If the employee does not participate in such programmes it shall be deemed to be a misconduct.

8. **Action on misconduct or involvement in any criminal activity.**—On misconduct under rule 7 or involvement in any criminal activity by the person appointed under these rules the appointing authority may terminate the contract appointment after giving reasonable opportunity of being heard.

9. **Controlling Officer.**—The Contract employee shall be under the administrative control of the Director, Gas Relief and Rehabilitation, through the concerned head of the unit.

10. **Other Conditions.**—(1) The selected candidate, shall execute a agreement with the appointing authority on Non-Judicial Stamp of Rs. 50/- in the Annexure just after the receipt of the appointment order. Expenses on execution of the agreement shall be borne by the selected candidate. The selected candidate shall be deemed to be in contract service from the date of joining at the place of his/her posting.

(2) It is compulsory for the Contract employee to join his/her duties within 15 days of the issue of the appointment order, at the place of contract appointment. In the event of not joining within the said period, the contract appointment shall stand cancelled automatically. The intimation of joining by a Contract employee shall be sent to the Director, Gas Releif and Rehabilitation through the concerned head of the unit.

(3) The character verification of a Contract employee shall be carried out on the basis of rules or instructions applicable to the Government servants. In case of an adverse finding regarding the character, the contract appointment shall be cancelled immediately by the Appointing Authority without assigning any reason.

(4) Before the contract amount for the first month, the Contract employee, at his own cost, shall undergo medical examination conducted by the District Medical Board. Only after being found fit in this medical examination, the contract appointment shall be valid. The retired Government servants, if appointed as Contract employee, shall also be required to undergo such medical examination.

(5) The Contract employee shall be required to undergo 7 days training in the concerned unit within a month of joining at the place of posting. Such training shall be organized by the concerned Head of the unit. The concerned head of the unit shall be responsible for sending the Contract employee for such training. The Contract employee shall be entitled for travelling allowance as per rules for this purpose. However, a retired Contract Government Servant will not require such training.

(6) The appointment of a Contract employee shall be for a specific unit only. He shall not be transferred under any circumstances.

(7) The Contact employee shall be entitled for a maximum of 15 days casual leave in a calendar year. He/She can avail a maximum of three days casual leave at a time. A Female Contract employee having less than two living children, shall be entitled for maternity leave for a maximum period of 90 days. The powers to sanction aforesaid leaves will be vested with the concerned Head of the unit.

(8) If Contract employee is absent from his duty for more than a month without any specific reason and without any intimation, then his contract appointment shall be deemed to be terminated automatically from the date of such absence.

(9) The Contract employee shall not be entitled for any pensionery benefits for his contractual period. No bonus etc. shall be payable to him/her for such period.

(10) The Contract employee will not be entitled for regularization in Government service.

(11) The Contract appointment can be terminated after one month's notice or on payment of one months contract amount by either party and at any time.

(12) Other service conditions shall be such as may be specified in the appointment order.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of any provision of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

12 **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or a bridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

ANNEXURE

[Rule-10 (1)]

Form of Agreement

This agreement is made on the . . . . day of . . . . between Dr./Shri/Smt./Ku. . . . . S/o./W/o./D/o . . . . age . . . . resident of . . . . (herein after referred to as Employee) on the one part and the Governor of Madhya Pradesh acting through Appointing Authority (herein after referred to as Employer) on second part.

WHEREAS, the employer *vide* order No. . . . . dated . . . . has appointed the employee as Contract . . . . (Name of the post) for . . . . (Name of the unit) and the employee has agreed for the contract appointment on the said post under the Madhya Pradesh Bhopal Gas Tragedy, Relief and Rehabilitation Department Contract Service (Appointment and Conditions of service) Rules, 2003.

Now, it is agreed between the parties as follows :—

(i) Both the parties shall be bound by said rules and any breach of any provision of said rules by the employee shall be deemed to be misconduct.

(ii) The employee shall be deemed to be in contract service from the date of joining at the place of appointment and the monthly contract amount shall be paid from that date.

(iii) In case of any dispute regarding this contract, the jurisdiction shall be the Court situated at Bhopal, only.

(iv) It shall be compulsory for the contract employee to actively participate in National Programmes of the Government.

(v) In case of any misconduct or indulgence in any criminal activity, the employer shall have the right to terminate the contract service of such contract employee.

In witness where of the parties hereto these signed this agreement on the date and year respectively mentioned against their signature :—

Witness :

(i) Signature . . . .
Name . . . .
Address . . . .

Signature . . . .
Name . . . .
Address . . . .

Parties :

(i) Signature . . . .
Name . . . .
Address . . . .

(ii) Signature . . . .
Name . . . .
Address . . . .

SCHEDULE
(Rule 5)

S. No.	Post included in contract service	Monthly Contract Amount (Rs.)	Minimum Educational Qualification and Experience	Distribution of Marks (Out of 100 Marks)	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GROUP-I						
1.	**Senior Consultant*** (Equivalent to the post of Professor in a recognized Medical College).	26,000/-	**Qualification :** A medical qualification included in the first or second Schedule or part-II of III Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 [persons possessing qualifications included in part-II of third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13 (3) of the Act] A post graduate qualification i.e. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline / subject AND/OR M. Ch. for surgical super speciality & D. M. for Medical super speciality or qualification recognized equivalent thereto. **Experience :** Minimum 14 years experience in the recognized institution	(1) For M.B.B.S. 20 marks (2) For Post Graduation : (i) PG in speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt) (ii) Post PG in Super speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt). (3) For publication 15 marks (2 marks for each publication over & above the minimum number of publications required by M.C.I. norms. The publication should be indexed in INDEX MEDICUS / National Journal). (4) For Experience 15 marks (2 marks for each year of experience over & above the experience prescribed for the said post). (5) For Inetrview 30 marks	1. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, Gas Tragedy Relief & Rehabilitation Department **Chairman** 2. Director, Gas Relief & Rehabilitation **Member-Secretary** 3. Director, Medical Education. Member 4. Two Experts **Member** (There shall be two experts in the concerned subject of which one shall be from the State Medical Colleges & one from out of State Medical College. In case of non-availability of expert in given speciality / super speciality within the State then both the Experts will be from out side the State. A panel of experts shall be made by the DME from which the Chairman shall make selection of members).	Department of Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	GROUP-I 1. **Senior Consultant*** (Equivalent to the post of professor in a recognized Medical College).	26,000/-	in the subject of super speciality after obtaining the qualifying degree of MD / MS with 2 years special training in well established department of respective super speciality. AND/OR Minimum 12 years experience in the recognized institution in the subject of super speciality after obtaining M.Ch. / D.M. or qualification recognized equivalent thereto.		5. One representative of Reserved Category **Member** (The Rpresentative either of SC / ST / OBC belonging to medical profession / administration shall be as nominated by the Chairperson).	
	2. **Consultant*** (Equivalent to the post of Associate Professor in a recognized Medical College).	22,000/-	**Qualification :** A. medical. qualification included in the first or second Schedule or part-II of III Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 [persons possessing qualifications included in part-II of third Schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13 (3) of the Act] A post graduate qualification i.e. MD/MS or a recognized qualification equivalent-thereto in the respective discipline / subject.	(1) For M.B.B.S. 20 marks (2) For Post Graduation : (i) PG in speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt) (ii) Post PG in Super speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt). (3) For publication 15 marks (2 marks for each publication over & above the minimum number of publications required by M.C.I. norms. The publication should be indexed in INDEX MEDICUS / National Journal).	1. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, Gas Tragedy Relief & Rehabilitation Department **Chairman** 2. Director, Gas Relief & Rehabilitation **Member-Secretary** 3. Director, Medical Education **Member** 4. Two Experts **Member** (There shall be two experts in the concerned subject of which one shall be from the State Medical Colleges & one from out of State Medical College. In case of non-availability of expert	Department of Bhopal Gas Tragedy Relief And Rehabilitation Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. **Consultant*** (Equivalent to the post of Associate Professor in a recognized Medical College).	22,000/-	AND/OR M. Ch. for surgical super speciality & D. M. for Medical super speciality or qualification recognized equivalent thereto. **Experience :** Minimum 08 years experience in the recognized institution in the subject of super speciality after obtaining the qualifying degree of MD / MS with 2 years special training in well established department of respective super speciality. AND/OR Minimum 6 years experience in the recognized institution after obtaining M.Ch. / D.M. or qualification recognized equivalent thereto.	(4) For Experience 15 marks (2 marks for each year of experience over & above the experience prescribed for the said post). (5) For Intrview 30 marks	in given speciality / super speciality within the State then both the Experts will be from out side the State. A panel of experts shall be made by the DME from which the Chairman shall make selection of members). 5. One representative of Reserved Category **Member** (One Rpresentative either of SC / ST / OBC belonging to medical profession / administration shall be nominated by the Chairperson).	
3. **Junior Consultant** (Equivalent to the post of Assistant Professor in a recognized Medical College).	18,000/-	**Qualification :** A medical qualification included in the first or second Schedule or part-II of III schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 [persons possessing qualifications included in part-II of third Schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13 (3) of the Act].	(1) For M.B.B.S. 20 marks (2) For post Graduation : (i) PG in speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt). (ii) Post PG in Super speciality 10 marks (minus 2 marks for each attempt).	1. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, Gas Tragedy Relief & Rehabilitation Department **Chairman** 2. Director, Gas Relief & Rehabilitation **Member Secretary** 3. Director, Medical Education. **Member**	Department of Bhopal Gas Tragedy Relief And Rehabilitation Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	***Junior Consultant*** (Equivalent to the post of Assistant Professor in a recognized Medical College).	*18,000/-*	*A post graduate qualification* i.e. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline / subject. AND/OR M. Ch. for surgical super speciality & D. M. for Medical super speciality or qualification recognized equivalent thereto. **Experience :** Minimum 1 years experience in the recognized institution in the subject of super speciality after obtaining the qualifying degree of MD / MS with 2 years special training in well established department of respective super speciality.	*(3)* For publication 15 marks (2 marks for each publication over & above the minimum number of publications required by M.C.I. norms. The publication should be indexed in INDEX MEDICUS / National Journal). (4) For Experience 15 marks (2 marks for each year of experience over & above the experience prescribed for the said post). (5). For Interview 30 marks	4. Two Experts **Member** (There shall be two experts in the concerned subject of which one shall be from the State Medical Colleges & one from out of State Medical College. In case of non-availability of expert in given speciality / super speciality within the State then both the Experts will be from out side the State. A panel of experts shall be made by the DME from which the Chairman shall make selection of members). 5. One representative of Reserved Category. **Member** (One representative of either SC / ST / OBC belonging to medical profession / administration shall be nominated by the Chairperson).	
GROUP-II 4.	**Medical Officer**	15,000/-	M.B.B.S. degree recognized by Indian Medical Council and registration in Madhya Pradesh Pradesh State Medical Council.	A. Graduate Degree (in the ratio of marks obtained) 65 marks B. Post Graduation (Minus two marks for each attempt). 10 marks	1. Director, Gas Relief & Rehabilitation **Chairman** 2. Director / his nominee not below the rank of Joint Director, Medical Services, Public Health Dept. **Member**	Director Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GROUP-II						
4.	**Medical Officer**	15,000/-		C. "C" Certificate in National Cadet Corps (NCC) or NSS Certificate. 05 marks D. Sportsman / Sports women who has represented at University or State level. 05 marks E. Experience as a doctor in Medical Institution [one mark for each year Subject to a maximum of five marks]. 05 marks F. Interview 10 marks	3. Subject Expert from the State to be nominated by the Chairman. **Member** 4. One member from Reserved Classes to be nominated by Chairman. **Member** 5. Chief Medical and Health Officer, Gas Relief. **Member-Secretary**	
GROUP-III						
5.	Metron*	7,000/-	5 yrs. experience as Nursing Sister in a Central/State recognized hospital.	A. Essential Qualification [in the ratio of marks obtained] 65 marks. B. Extra qualification in the areas related to the post 10 Marks C. "C" Certificate in National Cadet Corps. (NCC) or NSS Certificate. 5 marks	1. Director, Gas Relief & Rehabilitation **Chairman** 2. Director/his nominee not below the rank of Joint Director, Medical Services, Public Health Dept. **Member** 3. C. M. O., Gas Relief **Member-Secretary**	Director Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal.
6.	**Assistant Matron***	7,000/-	5 yrs. experience as Nursing Sister in a Central/State recognized hospital.			
7.	**Nursing Sister***	6,300/-	5 yrs. experience as Nursing Sister in a Central/State recognized hospital.			
8.	**Staff Nurse**	5600/-	B.Sc. Nursing or General Nursing with registration in Nursing Council.			
9.	**Biochemist**	6,300/-	M.Sc. (Biochemistry or Medical Biochemistry) OR Degree in Chemistry with D.M. L.T. from recognized Institute.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	**Lab. Technician**	5,600/-	12th pass with Physics, Chemistry, Biology & D.M.L.T. from recognized Institute.	D. Sportsman/Sportswomen who has reprsented at University or State level. 5 marks	4. One member from Reserved Classes to be nominated by Chairman **Member**	Director Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal.
11.	**Laboratory Assistant**	4,300/-	12th pass with Physics, Chemistry and Biology.			
12.	**Pharmacist Gr.-II**	4,300/-	12th pass with Physics, Chemistry, Biology & Diploma in Pharmacy with Registration in Pharmacy Council.	E. Experience on the post for which applicant is under consideration [one mark for each year Subject to a maximum of five marks] 5 marks	5. Director, Medical Education/his nominee not below the rank of Joint Director, Medical Education **Member**	
13.	**Dresser Gr.-II**	3,850/-	12th pass with Physics, Chemistry, Biology & 3 months training of dressing from recognized Institute.			
14.	**Senior Radiographer***	5,600/-	5 Yrs. Experience as Radiographer in a Central/ State recognized hospital.	F. Interview 10 marks		
15.	**Radiographer**	4,900/-	12th pass with Physics, Chemistry and Biology & 6 months training course in Radiography from recognized Institute.			
16.	**Dark Room Assistant**	4,300/-	12th pass with Physics, Chemistry & Biology.			
17.	**Medico-Social Worker.**	6,300/-	M. A. i n Sociology with at least II division.			
18.	**Pulmonary Physio-therapis.***	7,700/-	5 Yrs. working experience as Pulmonary Physiotherapy technician in a Central/ State recognized hospital.			
19.	**Optometrist**	5,600/-	B.Sc. I-yr. Pass with Bio., Chem. & Physics and Diploma in Optometry & Refraction from recognized Institute.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	**Opthalmic Assistant**	4,300/-	B.Sc. I Year Pass Physics, Chemistry & Biology 2 yrs. course in Optometry & Refraction from recognized Institute.			Director Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal.
21.	**O. T. Technician**	5,600/-	12th pass with Physics, Chemistry, Biology & D.M.L.T. from recognized institute and 1 yr. Experience in Major O. T. in a Central/State recognized hospital.			
22.	**E. C. G. Technician**	4,900/-	12th with Physics, Chemistry & Biology & 1yr. Experience as ECG tech. in a Central/State recognized hospial.			
23.	**Technical Assistant**	4,300/-	12th with Physics, Chemistry & Biology & 1 yr. Experience in operation of super speciality equipment in Imaging/ICU/ Neurology/Psychiatry/ NephrologyGastroentero-logy Medical/ Gastroentrrology-Surgical Departments/CSSD in a Central/State recognized hospital.			
24.	**O. T. Assistant**	4,300/-	12th with Physics, Chemistry & Biology & 1 yr. Experi-ence in major O. T. in a Central/State recognized hospital.			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
SAMEER KUMAR KHARE, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.